# No.N.38014/1/2012-FM Government of India Ministry of Information and Broadcasting (FM Cell)

New Delhi, the 3<sup>rd</sup> January, 2013

#### OFFICE MEMORANDUM

Subject: Constitution of Committee for processing of recommendations/reports of Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).

It has been decided to constitute an Inter-Ministerial Committee (IMC) in the Ministry of Information and Broadcasting to process recommendations received from TRAI relating to "Broadcast Services". This Committee would give its inputs before the appropriate competent authority in the Government of India takes policy decisions on all recommendations of TRAI that relate to 'Broadcasting Sector'. The composition of the Committee would be as follows:-

i)	Additional Secretary, Ministry of I&B	Chairperson
ii) '	Representative of Department of Telecommunications (not below the rank of Joint Secretary)	Member
iii)	Representative of Department of Information Technology (not below the rank of Joint Secretary)	Member
iv)	Representative of Department of Economic Affair (not below the rank of Joint Secretary)	Member
v)	Representative of Department of Industrial Policy and Promotion	Member
	(not below the rank of Joint Secretary)	
vi)	Chairman & Managing Director, Broadcast Engineering Consultants India Ltd.,	Member
vii)	Director General, Doordarshan	Member
viii)	Director General, All India Radio	Member
ix)	Engineer-in-Chief, Doordarshan	Member
x)	Engineer-in-Chief, All India Radio	Member
xi)	Joint Secretary(B-I/B-II), Ministry of I&B,	Member-Secretary

- The Committee may co-opt of any number(s) as considered necessary from time to time.
- The Committee recommendations will be submitted to Secretary(I&B) and thereafter to the Minister for instructions on matters relating to recommendations of TRAI.
- The IMC will be serviced by the JS(B-I) or JS(B-II) as the case may be and the section concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

(C.S.Kaushik)

Deputy Secretary(FM) Tel.No.23384933

E-mail: cs.kaushik@nic.in

- i. Secretary, Department of Telecommunications
- ii. Secretary, Department of Information Technology
- iii. Secretary, Department of Economic Affairs
- iv. Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion
- v. Chairman & Managing Director, BECIL
- vi. Director General, Doordarshan
- vii. Director General, All India Radio
- viii. Engineer-in-Chief, All India Radio
- ix. Engineer-in-Chief, Doordarshan

#### Copy for information to:

- PS to Hon'ble MSIB
- Sr.PPS to Secretary(I&B)
- PPS to Additional Secretary(I&B)
- 4. PPS to Additional Secretary & Financial Adviser (I&B)
- 5. OSD to Chief Executive Officer, Prasar Bharati
- Sr.PPS to Joint Secretary(B-II)
- Sr.PPS to Joint Secretary(B-I)
- Director(BA-P)/Director(BC)/Director(DAS)/DS(BA-E)/DS(BD)/Director(BP&L)
- BC/BC-IV/B(D)/B(Fin)/FM Cell/BP&L/BA(P)/BA(E)/TV(I)/CRS

# No.N.38014/1/2012-FM Government of India Ministry of Information and Broadcasting (FM Cell)

New Delhi, the 4th January, 2013

#### ADDENDUM

Subject: Constitution of Committee for processing of recommendations/reports of Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).

With reference to this Ministry's Office Memorandum of even number dated 3.1.2013, the following correction/addition is made in respect of the composition of the Committee:-

(i) Representative of Department of Legal Affairs (not below the rank of Joint Secretary)

Member

 Other terms and conditions as stated in the Office Memorandum of even number dated 3.1.2013 will remain the same.

> (C.S.Kaushik) Deputy Secretary(FM) Tel.No.23384933

E-mail: cs.kaushik@nic.in

Secretary, Department of Legal Affairs

#### Copy to:

- i. Secretary, Department of Telecommunications
- ii. Secretary, Department of Information Technology
- iii. Secretary, Department of Economic Affairs
- iv. Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion
- v. Chairman & Managing Director, BECIL
- vi. Director General, Doordarshan
- vii. Director General, All India Radio
- viii. Engineer-in-Chief, All India Radio
- ix. Engineer-in-Chief, Doordarshan

# Copy for information to:

- 1. PS to Hon'ble MSIB
- Sr.PPS to Secretary(I&B)
- 3. PPS to Additional Secretary(I&B)
- PPS to Additional Secretary & Financial Adviser (I&B)
- OSD to Chief Executive Officer, Prasar Bharati
- 6. Sr.PPS to Joint Secretary(B-II)
- 7. Sr.PPS to Joint Secretary(B-I)
- 8. Director(BA-P)/Director(BC)/Director(DAS)/DS(BA-E)/DS(BD)/Director(BP&L)
- BC/BC-IV/B(D)/B(Fin)/FM Cell/BP&L/BA(P)/BA(E)/TV(I)/CRS

## सं. एन 38014/1/2012 – एफएम भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एफ एम सैल)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2013

### कार्यालय जापन

विषय- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की संस्तुतियों/रिपोर्टी पर विचार/कार्रवाई करने हेत् समिति का गठन।

'प्रसारण सेवाओं' के संबंध में ट्राई से प्राप्त संस्तुतियों पर विचार करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अंतर-मंत्रालयीय समिति (आई एम सी) का गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति 'प्रसारण सेवाओं' के संबंध में ट्राई की सभी संस्तृतियों पर भारत सरकार में उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीतिगत निर्णय लिए जाने से पूर्व अपने विचार पस्तर कोशी। समिति का संघटन निस्तानमार दोशाः-

A400	न करता। सामाय का संवटच चिम्नावुसार शता:-	
(i).	अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	- अध्यक्ष
(ii)	दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य
	(कम-से-कम संयुक्त सचिव के रैंक का अधिकारी)	
(iii)	सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य
	(कम-से-कम संयुक्त सचिव के रैंक का अधिकारी)	
(iv)	आर्थिक कार्य विभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य
	(कम-सं-कम संयुक्त सचिव के रैंक का अधिकारी)	
(v)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य
	(कम-से-कम संयुक्त सचिव के रैंक का अधिकारी)	
(vi)	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,	- सदस्य
	ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसलटेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड	
(vii)	महानिदेशक, दूरदर्शन	- सदस्य
(viii)	महानिदेशक, आकाशवाणी	- सदस्य
(ix)	प्रमुख अभियंता, दूरदर्शन	- सदस्य

संयुक्त सचिव (प्रसारण-! /प्रसारण-!I), सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य (xi)

प्रमुख अभियंता, आकाशवाणी

(X)

- समिति समय-समय पर यथावश्यकतानुसार किसी भी/किन्हीं भी सदस्य/सदस्यों को सह-योजित कर सकती है।
- ट्राई की संस्तुतियों से संबंधित मामलों पर निर्देशन हेतु समिति की सिफारिशें सर्वप्रथम सचिव (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) को और तत्पश्चात मंत्री महोदय को प्रस्तूत की जाएंगी।

- सदस्य

- अंतर-मंत्रालय समिति (आई एम सी) से संबंधित मामलों का प्रबंधन संयुक्त सचिव (प्रसारण-1) अथवा संयुक्त सचिव (प्रसारण-11), यथास्थिति और संबंधित अनुभाग द्वारा किया जाएगा।
- यह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

(सी एस कौशिक)

उप सचिव (एफ एम)

दूरभाष- 23384933

ई मेल- cs.kaushik@nic.in

- i) सचिव, दूरसंचार विभाग
- ii) सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
- iii) सचिव, आर्थिक कार्य का विभाग
- iv) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- ा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बेसिल
- vi) । महानिदेशक, दूरदर्शन
- vii) महानिदेशक, आकाशवाणी
- viii) प्रमुख अभियंता, आकाशवाणी
- ix) प्रमुख अभियंता, दूरदर्शन

#### स्चनार्थं प्रतिलिपि :

- माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री के निजी सचिव
- 2. सचिव (सूचना और प्रसारण) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
- अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) के प्रमुख निजी सचिव
- 4. अपर सचिव और विस्त सलाहकार (सूचना और प्रसारण) के प्रमुख निजी सचिव
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती के विशेष कार्य अधिकारी
- संयुक्त सचिव (प्रसारण-II) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
- 7. संयुक्त सचिव (प्रसारण-1) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
- निदेशक (बीए-पी)/निदेशक (बीसी)/निदेशक (डीएएस)/उप सचिव (बीए-ई)/उप सचिव (बीडी)/निदेशक (बीपी ऐंड एल)
- 9. बीसी/बीसी-IV/बी(डी)/बी(बित्त)/एफएम सैंल/बीपीऐंड एल/बीए(पी)/बीए(ई)/टीवी (I)/ सीआरएस

### सं. एन 38014/1/2012 -एफएम भारत सरकार

# सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(एफ एम सैल)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2013

#### अनुशेष

विषय- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की संस्तुतियों/रिपोर्टी पर विचार करने हेत् समिति का गठन।

इस मंत्रालय के दिनांक 03.01.2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में समिति के संघटन के संबंध में निम्नलिखित अशुद्धिशोधन/परिवर्धन है:-

- विधि कार्य विभाग के प्रतिनिधि (कम-से-कम संयुक्त सचिव के रैंक का अधिकारी) सदस्य
- अन्य निवंधन एवं शर्ते दिनांक 03.01.2013 के समसंख्यक कार्यालय जापन में यथा / उल्लेखान्सार ही रहेंगी।

(सी एस कौशिक)

उप सचिव (एफ एम)

दूरभाष- 23384933

ई मेल- es.kaushik@nic.in

सचिव, विधि कार्य विभाग

#### प्रतिलिपि:

- सचिव, दूरसंचार विभाग
- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ii)
- सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
- सचिव, औयोगिक नीति और संवर्धन विभाग (iv)
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बेसिल
- महानिदेशक, दूरदर्शन (vi)
- महानिदेशक, आकाशवाणी (vii)
- प्रमुख अभियंता, आकाशवाणी (VIII)
- प्रमुख अभियंता, दूरदर्शन (ix)

### स्चनार्थं प्रतिलिपि :-

- । माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री के निजी सचिव
- सिचेव (सूचना और प्रसारण) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सिचेव
- 3. अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) के प्रमुख निजी सचिव
- अपर सचिव और विन्त सलाहकार (सूचना और प्रसारण) के प्रमुख निजी सचिव
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती के विशेष कार्य अधिकारी
- संयुक्त सचिव (प्रसारण-II) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
- संयुक्त सचिव (प्रसारण-I) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
- हिदेशक (बीए-पी)/निदेशक (बीसी)/निदेशक (डीएएस)/उप सचिव (बीए-ई)/उप सचिव (बीडी)/निदेशक (बीपी ऐंड एल)
- बीसी/बीसी IV/बी(डी)/ बी (वित्त)/एफएमसैल/ बीपीऐंड एल/बीए(पी)/बीए(ई)/टीवी (1)/ सीआएस